तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहकाम जब हुक्म की तामील में जारी

T.J. | प्र.नि. 41/2018

28-6-18 पत्रावली आज्ञप्ति लेख अधिनियम हेतु नियत की गयी है। पत्रावली एवं जमाबंदी का उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पक्षों ने अपनी भूमि की जाबिता नकल जमाबन्दी एवं हाल नकल जमाबन्दी पेश की है, परन्तु अपूर्व गाम का हाल एवं जाबिता जमाबन्दी एवं सिमान क्षेत्रफल पेश नहीं किया है, रिकार्ड के अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रार्थिया की हाल रिकार्ड में क्या भूमि है। भूमि अपूर्व गाम के रिकार्ड में दर्ज हुई या नहीं हुई है। इस प्रकार प्रार्थिया का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी गण के पक्ष में नहीं पाया जाता है। अतः अपूर्व गाम की आज्ञप्ति निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जाना न्यायोचित नहीं होने से प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र आज्ञप्ति निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण पैमाल शुमार होने नम्बर से कम हो गया बाद तकमील प्रविष्ट लेख मण्डार हो एवं मूल वाद के समान हो। निर्णय उपरान्त लोक अदालत हेतु मण्डारण के मध्ये आज ही निस्तारण जारी किया गया।

सहायक कलक्टर
टोंक